

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से 01 चिकित्सीय सहायता के मामले में ₹ 5000/- (पाँच हजार रूपए), दुर्घटना में मृत 02 श्रमिक के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से कुल ₹ 200000/- (दो लाख रूपए) एवं 06 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से कुल ₹ 180000/- (एक लाख अस्सी हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 385000/- (तीन लाख पचासी हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)	जिला पदाधिकारी/ श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का तथ्यांक, कार्य की प्रकृति
1	श्री छपित बिन्द, 59, स्व० बदरी बिंद, पि० वर्ग	स्वयं	114/28.02.2019	ग्रा०-ईस्माइलपुर, पो०-भेवड़ सिकरीया, था०+प्र०+जि०-जहानाबाद	688107000 04776	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, PUNBOMBGB06	₹ 5000/- (पाँच हजार रूपए)	चिकित्सीय सहायता, कृषि मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० संजीत कुमार, 46, श्री सच्चिदानंद सिंह, अनु० जाति	श्रीमती रिकी देवी(पत्नी)	75/08.02.2019	ग्रा०-अमरपुर, पो०+था०+प्र०-मखदुमपुर, जहानाबाद	447810110 006576	बैंक ऑफ इंडिया, मखदुमपुर BKID0004478	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० रंजन कुमार, 23, श्री उपेन्द्र रविदास, अनु० जाति	श्रीमती संगीता देवी(पत्नी)	20/08.01.2019	ग्रा०/मु०-आनन्दी विगहा, पो०-कुर्था बाजार, था०+प्र०-मखदुमपुर, जहानाबाद	143800101 010969	कॉर्पोरेशन बैंक, सरेण टेहटा, जहानाबाद COPR0001438	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का कार्य
4	स्व० विमल बिंद, 37, श्री भुटानी बिंद, पि० जाति	श्रीमती सोनिया देवी(पत्नी)	21/08.01.2019	ग्रा०/मु०-पंडुई बेलदारी विगहा, पो०-पंडुई, था०+प्र०+जि०-जहानाबाद	328649637 55	भारतीय स्टेट बैंक, पंडुई, जहानाबाद SBIN0009188	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर का कार्य
5	स्व० अवधेश प्रसाद, 53, श्री वंशी सिंह, पि० जाति	श्रीमती रीना कुमारी(पत्नी)	23/08.01.2019	ग्रा०/मु०-कुर्थाडीह, पो०-कुर्था बाजार, था०+प्र०-मखदुमपुर, जहानाबाद	721317000 00880	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, टेहटा जहानाबाद, PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर का कार्य
6	स्व० विदेशी मांझी, 51, स्व० लक्ष्मण मांझी, अनु० जाति	श्रीमती शान्ति देवी(पत्नी)	24/08.01.2019	ग्रा०/मु०+पो०-पैख, था०+प्र०-मखदुमपुर, जहानाबाद	720117000 61317	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, विशुनगंज, जहानाबाद, PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर का कार्य
7	स्व० मनोज साव, 28, श्री बैजनाथ साव, पि० जाति	श्रीमती आरती कुमारी उर्फ आरती देवी(पत्नी)	27/08.01.2019	ग्रा०/मु०+पो०-पिंजौरा, था०+प्र०-काको, जहानाबाद	720801001 10945	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, पिंजौरा, जहानाबाद, PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, हलवाई कारिगर (शिल्पकार) का कार्य
8	स्व० मुंदी मांझी, 53, श्री नंहकु मांझी, अनु० जाति	श्रीमती राजकुमारी देवी(पत्नी)	28/08.01.2019	ग्रा०/मु०-लोदीपुर, पो०-पैख, था०+प्र०-मखदुमपुर, जहानाबाद	720107000 38118	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, विशुनगंज, जहानाबाद, PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर का कार्य
9	स्व० संजय दास, 22, श्री सिद्धेश्वर दास, अनु० जाति	श्रीमती फुला देवी(पत्नी)	22/08.01.2019	ग्रा०-गोडसर, पो०+था०+प्र०-घोषी, जहानाबाद	503055537 42	इलाहाबाद बैंक, घोषी, जहानाबाद, ALLA0210508	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, ईंट भट्टा व्यवसाय में मजदूर

कुल :- ₹ 385000/-

(तीन लाख पचासी हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-18/2019 के पृष्ठ-04/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(अजय कुमार सिंह)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
लिपिक	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-18/2019

पटना, दिनांक :-




प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-	ह०/-	ह०/-
(अजय कुमार सिंह)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
लिपिक	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-18/2019-190

पटना, दिनांक :- 14-06-19

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 385000/- (तीन लाख पचासी हजार रूपए)का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

 13-06-19	 13/06/19	 13/06/19
(अजय कुमार सिंह)	(डा० गणेश कुमार झा)	(गोपाल मीणा)
लिपिक	मुख्य वित्त पदाधिकारी	कार्यकारी निदेशक।